रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230355
CG-DL-E-12102021-230355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2021/आश्विन 20, 1943
No. 456] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ASVINA 20, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

सं. एफ-9-1/2010 (पीएस/मिस०) भाग खंड.I.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उप धारा (1) के खंड (ई) एवं (जी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018, में निम्नलिखित संशोधन करता है नामतः-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ.-(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) संशोधित विनियम, 2021 कहा जा सकता है।**

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018, विनियम 3, के उप-विनियम 3.10, में निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-**

3.10 "दिनांक 01 जुलाई, 2023 से विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी" ।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./320/2021-22]

नोट : प्रमुख विनियम का प्रकाशन भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 के अंतर्गत *संदर्भ* सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 को हुआ था ।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

No. F.9-1/2010(PS/MISC)Pt. Vol.I.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Amendment Regulations, 2021.**

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, in regulation 3, for sub-regulation 3.10, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-**

   3.10 ''The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant Professor in Departments of the Universities with effect from 01.07.2023."

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./320/2021-22]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 *vide* No. F.1-2/2017(EC/PS) dated 18th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.12 15:35:11 +05'30'